



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 145]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 22, 2004/चैत्र 2, 1926

No. 145]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 22, 2004/CHAITRA 2, 1926

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2004

सा.का.नि. 205(अ).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का 2) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड नियमावली, 1985 में आगे संशोधन करके निम्नलिखित नियम बनाती है :—

1. इन नियमों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (संशोधन) नियमावली, 2004 कहा जाए।
2. वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड नियमावली, 1985 के नियम 33 में :—

(i) उप-नियम (2) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम अन्तर्विष्ट किया जायेगा, नामतः

“(2ए) भारत के नियंत्रक और लेखा महापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा से पूर्व बोर्ड के लेखाओं को बोर्ड की ओर से सदस्य-सचिव द्वारा अनुमोदित और अधिप्रमाणित किया जायेगा।”;

(ii) उप-नियम (3) में “लेखा करेगा” शब्दों के स्थान पर “उप-नियम 2(क) के अन्तर्गत लेखाओं को सदस्य-सचिव द्वारा अनुमोदित और अधिप्रमाणित किया जायेगा” शब्द, ब्रेकिट आंकड़े तथा वर्ण प्रतिस्थापित किए जाएं।

[सं. के-14011/6/95-डीडी-1बी/VI (खण्ड-II)]

जे. एस. दुआ, अवर सचिव

नोट :—प्रधान नियम दिनांक 22 मई, 1985 की सं. सा.का.नि. 472(अ) के तहत दिनांक 1 जून, 1985 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2004

G.S.R. 205(E).—In exercise of the powers conferred by Section 36 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985 (2 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Capital Region Planning Board Rules, 1985, namely :—

1. These rules may be called the National Capital Region Planning Board (Amendment) Rules, 2004.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In rule 33 of the National Capital Region Planning Board Rules, 1985,—
 - (i) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

“(2A) The accounts of the Board, before audited by the Comptroller and Auditor General of India, shall be approved and authenticated by the Member-Secretary on behalf of the Board.”;
 - (ii) in sub-rule (3), for the words “The accounts shall”, the words, brackets, figure and letter “The accounts, approved and authenticated by the Member-Secretary under sub-rule (2A), shall” shall be substituted.

[No. K-14011/6/95-DD-IB/VI (Vol. II)]

J. S. DUA, Under Secy.

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated the 1st June, 1985, vide number G.S.R. 472(E), dated the 22nd May, 1985.